



DREAM
FOR NATION



DARE
TO SERVE



DELIVER
WITH INTEGRITY

DAILY CURRENT AFFAIRS HINDI FILE

BEST FOR UPSC | UP PCS EXAM

DATE : AUGUST 29, 2026



Comprehensive
Coverage



Exam-Focused
Analysis



Concept Clarity
& Insights



Practice MCQs
with Explanation



Daily Updates,
Better Results



CONTACT INFO:

+91 92896 33341 | +91 96679 33341



EMAIL ID:

info@sixsigmaias.com



WEB PAGE:

www.sixsigmaias.com



ADDRESS:

C-6, GROUND FLOOR, SECTOR 2,
NEAR SECTOR 15 METRO STATION, NOIDA – 201301, UTTAR PRADESH

Table of Contents

1. औद्योगिक वृद्धि जुलाई में घटकर 6.7% हुई, जो जून में 8.8% थी.....	2
2. रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत ने अमेरिका के साथ जेवलिन खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए	4
3. क्या उच्च न्यायालयों के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायिक नियुक्तियों के लिए नामों की सिफारिश कर सकते हैं?.....	5
4. FCNR(B) जमाओं ने विदेशी मुद्रा भंडार को \$729 बिलियन के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचाया	7
5. रक्षा निर्यात SOPs का उदारीकरण और ढांचागत सुधार	8
6. सतलुज-यमुना लिंक (SYL) नहर विवाद: पंजाब बनाम हरियाणा.....	10
7. भारत-चीन द्विपक्षीय गतिशीलता: रणनीतिक सतर्कता और सीमा CBMs	11
8. इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम: अनाज पर निर्भरता और संरचनात्मक चुनौतियां	13
9. सोशल मीडिया की लत लगाने वाली डिज़ाइन और बाल सुरक्षा: मेटा निपटान और नियामक निहितार्थ	14
10. प्रधानमंत्री की उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की यात्रा: मध्य एशिया का रणनीतिक महत्व	16
11. सीमा पार पारिस्थितिक आपदाएं और हिमालयी जलवायु संवेदनशीलता	17
12. भारत-कनाडा आर्थिक और वित्तीय संवाद: व्यापार और निवेश रोडमैप.....	19



1. औद्योगिक वृद्धि जुलाई में घटकर 6.7% हुई, जो जून में 8.8% थी

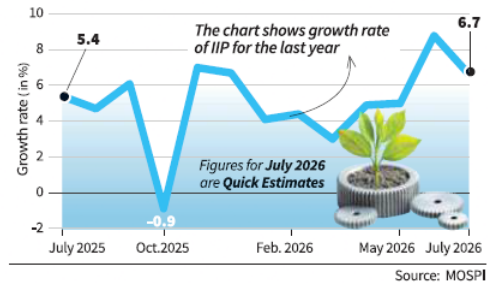
मुख्य विशेषताएं एवं सारांश

- **औद्योगिक उत्पादन में नरमी:** जून में दर्ज 8.8% की तुलना में जुलाई 2026 में भारत की औद्योगिक वृद्धि दर धीमी होकर 6.7% रह गई।
- **दूसरा उच्चतम संवृद्धि पथ:** महीने-दर-महीने आई इस सुस्ती के बावजूद, जुलाई का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) विस्तार दिसंबर के बाद से दर्ज किया गया दूसरा सबसे अच्छा प्रदर्शन है।

- **विनिर्माण क्षेत्र का समर्थन:** इलेक्ट्रिकल/गैर-इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और रबर उत्पादों के उत्पादन से प्रेरित होकर जुलाई 2026 में विनिर्माण क्षेत्र में 7.3% की वृद्धि हुई।
- **जून के आंकड़ों में संशोधित बढ़ोतरी:** सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने जून की IIP वृद्धि को 7.3% के अनंतिम अनुमान से बढ़ाकर 8.8% कर दिया।
- **खपत के रुझानों में भिन्नता:** आर्थिक आंकड़े शहरी और ग्रामीण मांग की गतिशीलता के बीच बढ़ते अंतर को उजागर करते हैं, जहां ग्रामीण खपत के स्तर में सुस्ती बनी हुई है।
- **आपूर्ति-पक्ष के चालक:** अस्थिर क्षेत्रीय उप-घटकों की भरपाई करते हुए बिजली, गैस आपूर्ति और मुख्य विनिर्माण गतिविधियों द्वारा औद्योगिक गति को बनाए रखा गया।

Growth dips

India's industrial growth rate fell to **6.7% in July 2026**, the second-best growth recorded by the Index since December last year



आवश्यक परिभाषाएं

- **औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP):** एक आर्थिक संकेतक जो एक निश्चित अवधि के दौरान औद्योगिक उत्पादों की चुनिंदा टोकरी (बास्केट) के उत्पादन की मात्रा में होने वाले अल्पकालिक परिवर्तनों को मापता है।
- **त्वरित अनुमान (Quick Estimates):** स्थापनाओं के पूर्ण रिटर्न के आधार पर बाद के संशोधनों के अधीन, MoSPI द्वारा कम समय अंतराल (टाइम लैग) के साथ संकलित और जारी किए गए प्रारंभिक समष्टि आर्थिक डेटा बिंदु।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) का जनादेश:** सांख्यिकी संकलन अधिनियम, 2008 के अनुसार आधिकारिक सांख्यिकी संकेतकों को एकत्र, संकलित और प्रसारित करने के लिए MoSPI के तहत कार्य करता है।
- **राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम, 2003:** राजस्व अनुमानों, औद्योगिक क्षमता और समष्टि आर्थिक स्थिरता का आकलन करने के लिए IIP जैसे उच्च-आवृत्ति वाले समष्टि आर्थिक मेट्रिक्स को ट्रैक करने की आवश्यकता होती है।
- **प्रविष्टि 64, संघ सूची (सातवीं अनुसूची):** आधिकारिक राष्ट्रीय सांख्यिकी, सर्वेक्षण और आर्थिक जनगणना संचालन के संबंध में संसद को अनन्य विधायी क्षेत्राधिकार प्रदान करती है।

निष्कर्ष

जुलाई 2026 का IIP डेटा ग्रामीण और शहरी बाजारों के बीच संरचनात्मक मांग असमानताओं को उजागर करने के साथ-साथ मुख्य विनिर्माण में लचीलेपन को दर्शाता है। दीर्घकालिक औद्योगिक गति को बनाए रखने के लिए ग्रामीण क्रय शक्ति को बढ़ावा देने और पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन का विस्तार करने के लिए लक्षित नीतिगत उपायों की आवश्यकता है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर III:** भारतीय अर्थव्यवस्था—नियोजन, संसाधनों की लामबंदी, औद्योगिक वृद्धि, IIP का क्षेत्रीय गठन और विनिर्माण प्रदर्शन से संबंधित मुद्दे।

- **जीएस पेपर III:** अवसंरचना, मुख्य क्षेत्र का प्रदर्शन, आपूर्ति-पक्ष की बाधाएं, और राष्ट्रीय आय लेखांकन को प्रभावित करने वाले खपत के रुझान।

2. रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत ने अमेरिका के साथ जेवलिन खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए

मुख्य विशेषताएं एवं सारांश

- **ऑफर और स्वीकृति पत्र (LOA):** भारत ने अमेरिकी विदेशी सैन्य बिक्री (FMS) मार्ग के माध्यम से जेवलिन एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल (ATGM) प्रणालियों का अधिग्रहण करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक LOA पर हस्ताक्षर किए।
- **आपातकालीन खरीद तंत्र:** ऑपरेशन सिंदूर के बाद महत्वपूर्ण क्षमता अंतराल को भरने के लिए सशस्त्र बलों को सौंपी गई आपातकालीन खरीद (EP) शक्तियों के तहत यह सौदा प्रसंस्कृत किया गया है।
- **वित्तीय प्रत्ययोजन सीमाएं:** आपातकालीन खरीद ढांचे के तहत, सशस्त्र बल मुख्यालय प्रति उपकरण श्रेणी में ₹300 करोड़ तक की त्वरित खरीदारी कर सकते हैं।
- **प्रस्तावित डिलीवरी समयसीमा:** आपातकालीन खरीद के छठे दौर (EP-6) के तहत प्रारंभिक किस्तों की डिलीवरी वित्तीय वर्ष 2026-27 के अंत तक भारतीय सेना को होने वाली है।
- **अमेरिका-भारत रणनीतिक साझेदारी:** अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने रेखांकित किया कि यह अनुबंध द्विपक्षीय प्रमुख रक्षा साझेदारी को गहरा करता है और भविष्य के सह-उत्पादन के अवसर पैदा करता है।
- **परिचालन क्षमताएं:** जेवलिन प्रणाली मध्यम दूरी की एंटी-आर्मर क्षमता प्रदान करती है, जो उच्च सटीकता के साथ भारी बख्तरबंद वाहनों और गढ़वाले दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाती है।



आवश्यक परिभाषाएं

- **विदेशी सैन्य बिक्री (FMS):** विदेशी राष्ट्रों को रक्षा उपकरण, सेवाओं और प्रशिक्षण की सरकार-से-सरकार बिक्री को सुविधाजनक बनाने के लिए अमेरिकी सरकार का कार्यक्रम।
- **दागो और भूल जाओ (Fire-and-Forget) तकनीक:** एक मिसाइल मार्गदर्शन तंत्र जो प्रक्षेपण के बाद इन्फ्रारेड सीकर्स का उपयोग करके स्वचालित रूप से लक्ष्य को ट्रैक करता है, जिससे गनर तुरंत कवर (आड़) ले सकता है या अपनी स्थिति बदल सकता है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **संविधान का अनुच्छेद 73:** विदेश मामलों, रक्षा संधियों और रणनीतिक अंतर्राष्ट्रीय हथियारों की खरीद पर केंद्र सरकार को कार्यकारी शक्ति प्रदान करता है।

- **रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (DAP) 2020:** आपातकालीन खरीद और विदेशी सैन्य बिक्री (FMS) समझौतों के लिए विशिष्ट धाराओं की रूपरेखा तैयार करते हुए, सशस्त्र बलों के लिए पूंजी अधिग्रहण को नियंत्रित करती है।
- **अमेरिकी शस्त्र नियंत्रण अधिनियम (AECA):** विदेशी भागीदार देशों को रक्षा वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात तथा हस्तांतरण को विनियमित करने वाला अमेरिकी वैधानिक ढांचा।

निष्कर्ष

आपातकालीन शक्तियों के तहत जेवलिन मिसाइल प्रणालियों की खरीद परिचालन संबंधी सीखों के बाद तत्काल युद्ध के मैदान की तत्परता को बढ़ाने की भारत की सक्रिय रणनीति को दर्शाती है। FMS प्रोटोकॉल के माध्यम से अमेरिका के साथ रक्षा संबंधों को मजबूत करने से तकनीकी एकीकरण, सह-विकास और निरंतर रणनीतिक निरोध (डिटरेंस) के रास्ते बनते हैं।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर III:** सुरक्षा चुनौतियां और उनका प्रबंधन; प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण, रक्षा अधिग्रहण, और भारतीय सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण।
- **जीएस पेपर II:** भारत से जुड़े द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह; राष्ट्रीय हितों पर विदेशी नीतियों (भारत-अमेरिका प्रमुख रक्षा साझेदारी) का प्रभाव।

3. क्या उच्च न्यायालयों के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायिक नियुक्तियों के लिए नामों की सिफारिश कर सकते हैं?

मुख्य विशेषताएं एवं सारांश

- **विवाद का पुनरुत्थान:** राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा के आचरण ने इस प्रश्न को पुनर्जीवित कर दिया है कि क्या कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीशों (ACJs) को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्तियों के लिए सिफारिशें शुरू करनी चाहिए।
- **सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम का विचार-विमर्श:** सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम, लगभग एक वर्ष के अपने असामान्य रूप से लंबे कार्यकाल के दौरान न्यायमूर्ति शर्मा द्वारा प्रस्तुत चार सिफारिशों की जांच कर रहा है।
- **योग्यता-आधारित दृष्टिकोण:** कॉलेजियम के भीतर एक दृष्टिकोण यह है कि कार्यवाहक सीजेआई की सिफारिशों को केवल उनके आधिकारिक पदनाम के कारण खारिज नहीं किया जाना चाहिए, बशर्ते उम्मीदवार योग्यता के मानदंडों को पूरा करता हो और कार्यवाहक सीजेआई का कार्यकाल लंबा रहा हो।
- **संस्थागत चिंताएं:** इसके विपरीत एक दृष्टिकोण चेतावनी देता है कि ACJs के नामांकन स्वीकार करने से लंबे समय तक चलने वाली अस्थायी नियुक्तियां सामान्य हो सकती हैं और स्थायी मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की तात्कालिकता कम हो सकती है।

- **ऐतिहासिक नज़ीरें:** पारंपरिक रूप से, ACJ छोटे कार्यकाल के कारण सिफारिशें शुरू करने से बचते हैं, हालांकि इसके अपवाद मौजूद हैं, जैसे कि तत्कालीन कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बी.पी. धर्माधिकारी के तहत 2020 बॉम्बे उच्च न्यायालय की सिफारिशें।
- **परामर्शदात्री ढांचा:** पिछले मामलों में, परामर्शदाता न्यायाधीशों और उच्च न्यायालय के नेतृत्व के बीच मतभेदों के कारण केंद्र ने सूचियों को वापस लौटा दिया था, जिससे बार परामर्श के महत्व पर बल मिलता है।

आवश्यक परिभाषाएं



- **कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश (ACJ):** राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश जो मुख्य न्यायाधीश के पद के रिक्त होने या पदधारी द्वारा कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ होने पर मुख्य न्यायाधीश के प्रशासनिक और न्यायिक कर्तव्यों का निर्वहन करता है।
- **प्रक्रिया ज्ञापन (MoP):** सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों में न्यायिक नियुक्तियों और स्थानांतरणों की चरणबद्ध प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाले कार्यकारी दिशानिर्देशों का समूह।

Before Supreme Court Collegium: Can Acting Chief Justices of HCs send names for judge appointments?



कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **संविधान का अनुच्छेद 223:** मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होने पर या अस्थायी अनुपस्थिति के दौरान राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में से एक को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने का अधिकार देता है।
- **संविधान का अनुच्छेद 217:** यह अनिवार्य करता है कि उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के राज्यपाल और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श के बाद की जाएगी।
- **सेकंड और थर्ड जजेस केस (1993, 1998):** परामर्श और न्यायिक नियुक्तियों के लिए प्रक्रियात्मक मानदंड तय करते हुए कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से न्यायपालिका की सर्वोच्चता स्थापित की।

निष्कर्ष

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीशों की प्रशासनिक शक्तियों पर चल रही बहस न्यायिक रिक्तियों को तुरंत भरने और स्थापित प्रक्रियात्मक परंपराओं का पालन करने के बीच नाजुक संतुलन को उजागर करती है। ACJ की शक्तियों के संबंध में प्रक्रिया ज्ञापन (MoP) के भीतर स्पष्ट दिशानिर्देश संस्थागत अखंडता को बनाए रखने, प्रशासनिक अनिश्चितता को समाप्त करने और दीर्घकालिक अस्थायी कार्यकालों से बचने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर II:** भारतीय संविधान—विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति, न्यायपालिका की शक्तियां, कार्य और उत्तरदायित्व (अनुच्छेद 217, 223 और कॉलेजियम प्रणाली)।
- **जीएस पेपर II:** कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली; न्यायिक रिक्तियों, लंबित मामलों और न्यायिक प्रशासन से जुड़े मुद्दे।

4. FCNR(B) जमाओं ने विदेशी मुद्रा भंडार को \$729 बिलियन के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचाया

मुख्य विशेषताएं एवं सारांश

- **रिकॉर्ड विदेशी मुद्रा भंडार:** 21 अगस्त, 2026 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार \$729.33 बिलियन के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया, जो मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) [FCNR(B)] जमाओं के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की रियायती स्वेप खिड़की (Swap Window) द्वारा संचालित था।
- **भू-राजनीतिक दबावों का प्रभाव:** फरवरी 2026 में \$728.49 बिलियन का पिछला शिखर पश्चिम एशिया संघर्ष में व्यवधानों के बाद वैश्विक ऊर्जा कीमतों में उछाल और आयातित मुद्रास्फीति के कारण कम हो गया था।
- **FCNR(B) योजना का तंत्र:** 8 जून, 2026 को शुरू की गई विशेष स्वेप सुविधा के तहत, आरबीआई विनिमय दर के जोखिम को वहन करता है, जिससे वाणिज्यिक बैंक अनिवासी भारतीयों (NRIs) को 7.4% तक की आकर्षक ब्याज दरों की पेशकश करने में सक्षम होते हैं।
- **पूंजी प्रवाह की संरचना:** विशेष योजनाओं के माध्यम से आकर्षित \$72.85 बिलियन में से, FCNR(B) जमाओं ने \$65.4 बिलियन का योगदान दिया, जबकि विदेशी मुद्रा उधार और बाहरी वाणिज्यिक उधार ने क्रमशः \$4.86 बिलियन और \$2.59 बिलियन का योगदान दिया।
- **रुपये के बचाव को मजबूती:** विस्तारित विदेशी मुद्रा बफर निरंतर पूंजी निकासी (2026 की शुरुआत में \$24 बिलियन की इक्विटी निकासी) और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में उच्च ब्याज दरों के बीच मुद्रा की अस्थिरता को रोकने के लिए आरबीआई की परिचालन क्षमता में उल्लेखनीय सुधार करता है।
- **योजना की समय से पहले समाप्ति:** यह आश्चस्त होने के बाद कि हस्तक्षेप ने समय से पहले अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया है, आरबीआई ने FCNR(B) स्वेप विंडो को निर्धारित समय से पहले 31 अगस्त, 2026 को बंद करने का निर्णय लिया।

• Forex reserves skyrocket on NRI deposits



आवश्यक परिभाषाएं

- **FCNR(B) जमा खाता:** एक सावधि जमा (टर्म-डिपॉजिट) योजना जो अनिवासी भारतीयों को भारतीय बैंकों में निर्दिष्ट विदेशी मुद्राओं में जमा बनाए रखने की अनुमति देती है, जिससे जमाकर्ताओं को रुपये के मूल्यहास के जोखिम से सुरक्षा मिलती है।

- **रियायती विदेशी मुद्रा स्वैप विंडो:** एक केंद्रीय बैंक तरलता तंत्र जहां आरबीआई विदेशी मुद्रा प्रवाह को प्रोत्साहित करने के लिए निश्चित, रियायती स्वैप दरों पर वाणिज्यिक बैंकों के साथ रुपये के लिए विदेशी मुद्रा का आदान-प्रदान करता है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934:** धारा 17 मुद्रा मूल्य को स्थिर करने और विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन करने के लिए विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों को रखने, खरीदने और बेचने के लिए आरबीआई को वैधानिक अधिकार प्रदान करती है।
- **विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA), 1999:** विदेशी मुद्रा लेनदेन, बाहरी ऋण संरचनाओं और अनिवासी व्यक्तियों व बैंकिंग इकाइयों द्वारा रखे गए विदेशी मुद्रा खातों को नियंत्रित करता है।
- **संघ सूची की प्रविष्टि 36 (सातवीं अनुसूची):** विदेशी मुद्रा, मुद्रा, सिक्का निर्माण और कानूनी निविदा नियमों पर संसद को अनन्य विधायी अधिकार प्रदान करती है।

निष्कर्ष

FCNR(B) स्वैप विंडो का रणनीतिक निष्पादन बाहरी बैलेंस शीट की कमजोरियों को कम करने में लक्षित केंद्रीय बैंक के हस्तक्षेपों की प्रभावशीलता को प्रदर्शित करता है। विदेशी मुद्रा भंडार का पुनर्निर्माण महत्वपूर्ण समष्टि आर्थिक स्थिरता प्रदान करता है, आयात कवर को मजबूत करता है, और वैश्विक वित्तीय अस्थिरता के खिलाफ संप्रभु लचीलेपन को बढ़ाता है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर III:** भारतीय अर्थव्यवस्था—बाहरी क्षेत्र की गतिशीलता, भारतीय रिजर्व बैंक के संचालन, विदेशी मुद्रा भंडार प्रबंधन, विनिमय दर में अस्थिरता और भुगतान संतुलन।
- **जीएस पेपर III:** पूंजी खाता प्रबंधन, एफडीआई (FDI) और एफपीआई (FPI) के रुझान, मुद्रास्फीति प्रबंधन और समष्टि आर्थिक स्थिरता के संकेतक।

5. रक्षा निर्यात SOPs का उदारीकरण और ढांचागत सुधार

मुख्य विशेषताएं एवं सारांश

- **एकीकृत मानक संचालन प्रक्रिया (SOP):** रक्षा मंत्रालय ने प्रक्रियात्मक बाधाओं को कम करने के लिए तीन मौजूदा निर्यात SOPs (प्रमुख प्लेटफॉर्म/उपकरण, पुर्जे/घटक, और अंतर-कंपनी प्रौद्योगिकी हस्तांतरण) को एक एकल एकीकृत ढांचे में समेकित किया है।
- **हितधारक परामर्श से छूट:** अधिकांश गंतव्यों के लिए गैर-घातक (non-lethal) निर्यातों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय निविदाओं और प्रदर्शनियों के लिए इच्छित सभी वस्तुओं के लिए पूर्व हितधारक परामर्श को हटा दिया गया है ताकि वाणिज्यिक संचालन को तेज किया जा सके।
- **संवर्धित OGEL वैधता:** ओपन जनरल एक्सपोर्ट लाइसेंस (OGEL) की वैधता अवधि 2 वर्ष से बढ़ाकर 3 वर्ष कर दी गई है, जिससे निर्यातकों के लिए अनुपालन बोझ और नवीनीकरण की आवृत्ति कम हो गई है।

- **भौगोलिक विस्तार:** OGEL के दायरे को 41 देशों से बढ़ाकर सभी वैश्विक गंतव्यों तक विस्तारित किया गया है, जिसमें नकारात्मक या संवेदनशील सूची वाले राष्ट्रों, हथियार-प्रतिबंधित देशों और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रतिबंधों के तहत आने वाले देशों को छोड़ दिया गया है।
- **दायरे का विस्तार एवं नागरिक अंतिम-उपयोग की अनुमति:** OGEL के तहत वस्तुओं की सीमा को बढ़ा दिया गया है, जिससे छोटे कैलीबर वाले हथियारों और सुरक्षात्मक गियर के निर्दिष्ट पुर्जों/घटकों के नागरिक अंतिम-उपयोग निर्यात की अनुमति मिल गई है।
- **प्राधिकरणों का स्व-जनरेशन:** OGEL धारक पात्र निर्यातक प्रत्येक खेप के लिए अलग से नया अनुमोदन मांगे बिना कई खेपों के लिए स्व-जनित (self-generate) निर्यात प्राधिकरण तैयार कर सकते हैं।

आवश्यक परिभाषाएं

- **मानक संचालन प्रक्रिया (SOP):** रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी औपचारिक दिशानिर्देश जो घरेलू फर्मों को निर्यात अनुमति के लिए प्राधिकरण प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं।
- **ओपन जनरल एक्सपोर्ट लाइसेंस (OGEL):** एक स्थायी, एकमुश्त निर्यात लाइसेंस जो प्रमाणित निर्यातकों को प्रत्येक बैच के लिए अलग से मंजूरी मांगे बिना बार-बार निर्दिष्ट देशों को निर्दिष्ट वस्तुएं भेजने की अनुमति देता है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992:** भारत की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीतियों और निर्यात अनुमतियों को विनियमित करता है, जो विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) और रक्षा मंत्रालय को निर्यात दिशानिर्देश जारी करने में सक्षम बनाता है।
- **विशेष रसायन, जीव, सामग्री, उपकरण और प्रौद्योगिकियां (SCOMET) सूची:** वासेनर व्यवस्था (Wassenaar Arrangement) जैसे बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं के साथ संरेखित भारत की दोहरे उपयोग (dual-use) निर्यात नियंत्रण सूची के रूप में कार्य करती है।
- **संवैधानिक प्रावधान (अनुच्छेद 73):** संघ की कार्यपालिका शक्ति संघ सूची के तहत आने वाले विषयों (प्रविष्टि 14: विदेश मामले; प्रविष्टि 15: युद्ध और शांति; प्रविष्टि 41: विदेशी देशों के साथ व्यापार और वाणिज्य) को कवर करती है।

निष्कर्ष

रक्षा निर्यात SOPs का युक्तीकरण भारत के रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को एक सख्त नियामक व्यवस्था से सुविधा-संचालित ढांचे की ओर स्थानांतरित करता है। राष्ट्रीय सुरक्षा नियंत्रणों और व्यावसायिक दक्षता के बीच संतुलन बनाकर, ये सुधार 'मेक इन इंडिया' पहल के तहत घरेलू निर्माताओं को समर्थन देने के साथ-साथ राष्ट्रीय रक्षा निर्यात लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करते हुए वैश्विक रक्षा आपूर्ति श्रृंखलाओं में भारत के एकीकरण को बढ़ाते हैं।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर II:** भारत से जुड़े और/या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह; भारत के हितों पर विकसित और विकासशील देशों की नीतियों और राजनीति का प्रभाव।



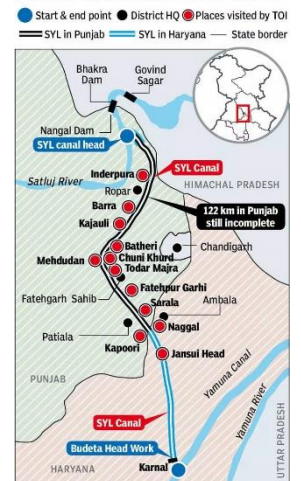
- **जीएस पेपर III:** भारतीय अर्थव्यवस्था तथा नियोजन, संसाधनों की लामबंदी, संवृद्धि, विकास और रोजगार से संबंधित मुद्दे; प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण और नई प्रौद्योगिकी का विकास; सुरक्षा चुनौतियां और उनका प्रबंधन।

6. सतलुज-यमुना लिंक (SYL) नहर विवाद: पंजाब बनाम हरियाणा

मुख्य विशेषताएं एवं सारांश

- **मुख्य मुद्दा:** 214 किमी लंबी SYL नहर परियोजना (पंजाब में 122 किमी, हरियाणा में 92 किमी) का उद्देश्य रावी-ब्यास नदी के पानी को साझा करना है। जबकि हरियाणा ने अपना हिस्सा पूरा कर लिया है, पंजाब का निर्माण अत्यधिक जल संकट, भूजल के घटते स्तर और कृषि विरोध के कारण रुका हुआ है।
- **ऐतिहासिक आवंटन:** यह विवाद जल आवंटन समझौतों से शुरू होता है, जिसमें 1981 का त्रिपक्षीय समझौता शामिल है, जिसने पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच 17.17 मिलियन एकड़ फीट (MAF) पर आकलित अधिशेष रावी-ब्यास जल का पुनरावंटन किया था।
- **तटीय (रिपेरियन) बनाम उत्तराधिकारी अधिकार:** पंजाब कानूनी रूप से तटीय सिद्धांत (riparian principle) पर निर्भर करता है, जो उसके क्षेत्र से होकर बहने वाली नदियों पर प्राथमिक अधिकारों का दावा करता है, जबकि हरियाणा केंद्रीय समझौतों और न्यायिक आदेशों के आधार पर एक उत्तराधिकारी राज्य के रूप में अपने हिस्से की मांग करता है।
- **विधायी वृद्धि और अमान्यकरण:** 2004 में, पंजाब ने पिछले जल-साझाकरण समझौतों को रद्द करने के लिए पंजाब समझौते का निरसन अधिनियम (Punjab Termination of Agreements Act) बनाया, जिसे बाद में 2016 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था।
- **भूजल का दोहन:** पंजाब के लगभग 73-76% कृषि ब्लॉक अति-शोषित (overexploited) के रूप में वर्गीकृत हैं, जिससे उसका यह रुख है कि हरियाणा या राजस्थान को बाहरी हस्तांतरण के लिए कोई अधिशेष जल मौजूद नहीं है।
- **रावी-ब्यास जल ट्रिब्यूनल (इराडी ट्रिब्यूनल):** अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 के तहत स्थापित, ट्रिब्यूनल पानी की उपलब्धता, नदी के प्रवाह और वास्तविक बेसिन कवरेज को फिर से सत्यापित करने के लिए क्षेत्र (फील्ड) निरीक्षण जारी रखता है।

CHARTING THE SYL THROUGH PUNJAB, IMPACT ON PEOPLE



आवश्यक परिभाषाएं

- **तटीय अधिकार (Riparian Rights):** एक कानूनी सिद्धांत जो उन भूस्वामियों या राज्यों को प्राथमिक अधिकार प्रदान करता है जिनकी संपत्ति किसी प्राकृतिक जल निकाय से सटी होती है, ताकि वे उस पानी का उपयोग कर सकें।
- **मिलियन एकड़ फीट (MAF):** जल संसाधन प्रबंधन में उपयोग की जाने वाली आयतन की एक इकाई, जो एक एकड़ भूमि को एक फीट की गहराई तक ढकने के लिए आवश्यक पानी की मात्रा के बराबर होती है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **अनुच्छेद 262:** संसद को अंतर-राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के पानी के उपयोग, वितरण या नियंत्रण से संबंधित विवादों पर न्यायनिर्णयन (adjudicate) करने का अधिकार देता है, और अंतर-राज्यीय ट्रिब्यूनल का आदेश होने पर सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार को बाहर करता है।
- **अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956:** अंतर-राज्यीय नदी विवादों के बाध्यकारी न्यायनिर्णयन के लिए तदर्थ ट्रिब्यूनल (जैसे, इराडी ट्रिब्यूनल) स्थापित करने के लिए अनुच्छेद 262 के तहत अधिनियमित।
- **प्रविष्टि 17 (राज्य सूची) बनाम प्रविष्टि 56 (संघ सूची):** प्रविष्टि 17 राज्यों को जल आपूर्ति, सिंचाई और नहरों पर क्षेत्राधिकार देती है, जो अंतर-राज्यीय नदियों के विनियमन और विकास को नियंत्रित करने वाली संघ सूची की प्रविष्टि 56 के अधीन है।

निष्कर्ष

SYL नहर विवाद भारत के संघीय ढांचे में कानूनी पात्रता और पारिस्थितिक वास्तविकता के बीच तनाव को दर्शाता है। गतिरोध को हल करने के लिए राजनीतिक पैतरेबाज़ी से आगे बढ़कर सहयोगात्मक जल प्रशासन की ओर बढ़ने, आधुनिक हाइड्रोलॉजिकल आकलनों को अपनाने और दोनों राज्यों में टिकाऊ कृषि जल उपयोग को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर II:** संघ और राज्यों के कार्य और उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे से संबंधित मुद्दे और चुनौतियां, अंतर-राज्यीय विवाद समाधान तंत्र, और संवैधानिक प्रावधान (अनुच्छेद 262)।
- **जीएस पेपर III:** जल संसाधन प्रबंधन, कृषि सिंचाई चुनौतियां, पर्यावरणीय क्षरण, और भूजल स्तर में गिरावट।

7. भारत-चीन द्विपक्षीय गतिशीलता: रणनीतिक सतर्कता और सीमा CBMs

मुख्य विशेषताएं एवं सारांश

- **25वीं विशेष प्रतिनिधि (SR) वार्ता:** राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने बीजिंग में चीनी विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की, जिसके परिणामस्वरूप बहुपक्षीय शिखरों (SCO और BRICS) से पहले द्विपक्षीय संबंधों को स्थिर करने के उद्देश्य से आठ-बिंदु संयुक्त सहमति बनी।
- **शुरुआती और पर्याप्त उपलब्धि (Early and Substantial Harvest):** दोनों देश 2005 के राजनीतिक मापदंडों और मार्गदर्शक सिद्धांतों के समझौते के तहत अंतिम समाधान पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना सीमा परिसीमन और मानचित्रण पर त्वरित प्रगति को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए।
- **सैन्य CBMs का विस्तार:** यह समझौता पूर्वी (अरुणाचल प्रदेश) और मध्य (हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड) क्षेत्रों में दो नए सैन्य बैठक बिंदु और दो नई सीमा हॉटलाइन स्थापित करता है, जो पश्चिमी क्षेत्र (लद्दाख) से आगे विश्वास निर्माण उपायों (CBMs) का विस्तार करता है।

- **सीमा पार नदी तंत्र:** साझा हाइड्रोलॉजिकल डेटा को प्रबंधित करने के लिए सीमा पार नदियों पर एक विशेषज्ञ-स्तरीय तंत्र को मजबूत किया जाएगा, साथ ही कैलाश-मानसरोवर यात्रा को सुविधाजनक बनाने और सीमा व्यापार को फिर से शुरू करने के समझौते भी शामिल हैं।
- **व्यावहारिक कूटनीतिक तटस्थता:** संयुक्त सहमति जानबूझकर विवादास्पद भू-राजनीतिक शब्दावली से बचती है—यह "तिब्बत/जिज़ांग" के सीधे संदर्भ को छोड़ती है और साझा भौगोलिक विशेषताओं के लिए दोहरे नामकरण सम्मेलनों (कैलाश/गेंग रिनपोचे और मानसरोवर/मपाम युम त्सो) का उपयोग करती है।
- **कैलिब्रेटेड सामरिक अस्पष्टता (Calibrated Tactical Ambiguity):** प्रक्रियात्मक CBMs और BRICS जैसे बहुपक्षीय मंचों पर संयुक्त संरक्षण के बावजूद, चल रहे सीमा विवादों और व्यापार विषमताओं के कारण संरचनात्मक रणनीतिक सतर्कता बनी हुई है।



आवश्यक परिभाषाएं

- **विश्वास निर्माण उपाय (CBMs):** विश्वास बढ़ाने, अनपेक्षित वृद्धि को रोकने और विवादित सीमाओं के साथ गलत आकलनों को कम करने के उद्देश्य से की गई नियोजित सैन्य और कूटनीतिक कार्रवाइयां।
- **विशेष प्रतिनिधि (SR) तंत्र:** सीमा समाधान के लिए एक राजनीतिक ढांचे की तलाश करने के लिए भारत और चीन के नामित प्रतिनिधियों के बीच 2003 में स्थापित उच्च स्तरीय संस्थागत संवाद।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **राजनीतिक मापदंडों पर 2005 का समझौता:** शांतिपूर्ण वार्ता के माध्यम से भारत-चीन सीमा प्रश्न को हल करने के लिए समग्र ढांचे का मार्गदर्शन करता है।
- **1993 और 1996 के सीमा समझौते:** वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर शांति और स्थिरता बनाए रखने तथा सैन्य क्षेत्र CBMs पर समझौते।
- **अनुच्छेद 73 एवं कार्यपालिका शक्तियां:** संघ सूची की प्रविष्टि 14 के तहत अंतर्राष्ट्रीय संधियों की बातचीत, सीमा प्रबंधन और विदेश मामलों में केंद्रीय कार्यपालिका के विशेषाधिकार को कवर करता है।

निष्कर्ष

25वीं SR बैठक के परिणाम एक व्यावहारिक दृष्टिकोण को दर्शाते हैं जहां मौलिक क्षेत्रीय मतभेदों को हल किए बिना जोखिम को प्रबंधित करने के लिए परिचालन CBMs को तैनात किया जाता है। भारत-चीन कूटनीति में, व्यापक रणनीतिक स्वायत्तता के साथ सीमा स्थिरता को संतुलित करते हुए, निरंतर सतर्कता विदेश नीति के निष्पादन का अभिन्न अंग बनी हुई है।

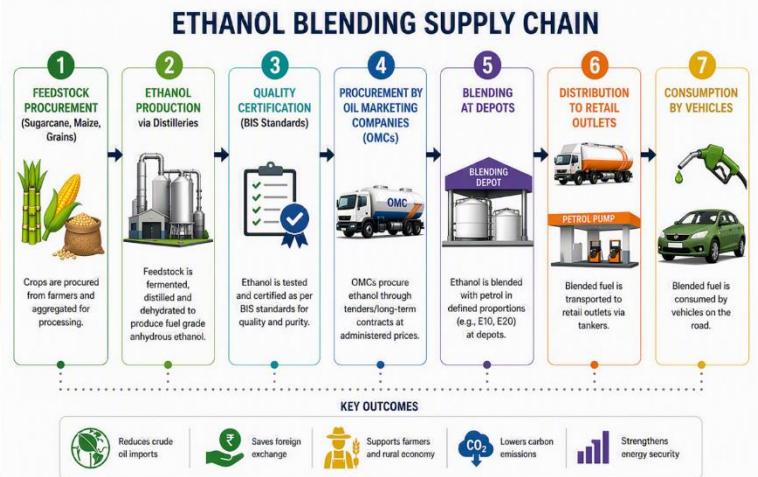
यूपीएससी प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर II:** भारत और उसका पड़ोस- संबंध; भारत से जुड़े और/या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और समझौते।
- **जीएस पेपर III:** सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां और उनका प्रबंधन; आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियां पैदा करने में बाहरी राज्य और गैर-राज्य अभिनेताओं की भूमिका।

8. इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम: अनाज पर निर्भरता और संरचनात्मक चुनौतियां

मुख्य विशेषताएं एवं सारांश

- अनाज-आधारित फीडस्टॉक्स की ओर बदलाव:** भारत का इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल (EBP) कार्यक्रम गन्ने के शीरे (molasses) से अनाज-आधारित फीडस्टॉक्स में स्थानांतरित हो गया है, जिसमें E20 लक्ष्यों के लिए कुल इथेनॉल आपूर्ति का 72.5% अनाज से होने की उम्मीद है।
- खाद्यान्नों का विचलन (Diversion):** मक्के और भारतीय खाद्य निगम (FCI) के स्टॉक से सब्सिडी वाले चावल पर भारी निर्भरता खाद्य सुरक्षा, पशुधन के चारे की उपलब्धता और क्षेत्रीय जल संसाधनों के हास के संबंध में गंभीर चिंताएं पैदा करती है।
- गन्ने के विचलन पर प्रतिबंध:** घरेलू चीनी की कीमतों को स्थिर करने के लिए इथेनॉल उत्पादन के लिए चीनी को मोड़ने पर सरकार की सीमा (caps) ने डिस्टिलरीज़ को B-हैवी शीरे या गन्ने के रस के बजाय अनाज के इनपुट पर भारी निर्भर रहने के लिए मजबूर किया है।
- पारिस्थितिक तनाव:** जैव ईंधन परिवर्तन के लिए चावल जैसी जल-गहन फसलों का उपयोग कृषि स्थिरता को कमजोर करता है और आवश्यक खाद्य वस्तुओं के बाजार मूल्यों को विकृत करता है।
- वैकल्पिक फीडस्टॉक की अनिवार्यता:** बाजरा और ज्वार जैसे जलवायु-अनुकूल, कम पानी वाली फसलों में परिवर्तन एक व्यवहार्य विकल्प प्रदान करता है, जो 58-62% स्टार्च रिकवरी प्रदान करता है और प्रति टन 380-400 लीटर इथेनॉल देता है।
- नीतिगत पुनरंशांकन (Policy Recalibration) की आवश्यकता:** विशेषज्ञ टिकाऊ कच्चे माल की सुरक्षा के बिना महत्वाकांक्षी E20 सम्मिश्रण लक्ष्यों को जल्दबाजी में पूरा करने के बजाय यथार्थवादी सम्मिश्रण समयसीमा और लक्ष्यों (जैसे, E10 या E15 पर स्थिर होना) की वकालत करते हैं।



आवश्यक परिभाषाएं

- इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल (EBP) कार्यक्रम:** जीवाश्म ईंधन के आयात को कम करने, कार्बन उत्सर्जन को घटाने और कृषि उत्पादकों को लाभकारी मूल्य प्रदान करने के लिए पेट्रोल के साथ बायो-इथेनॉल को मिलाने की एक पहल।
- प्रथम पीढ़ी (1G) जैव ईंधन:** खाद्य फसलों जैसे कि गन्ना, मक्का, टूटा हुआ चावल और गेहूं के स्टार्च से सीधे उत्पादित जैव ईंधन।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति (2018):** राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं की रक्षा करते हुए जैव ईंधन उत्पादन के लिए पात्र फीडस्टॉक्स का विस्तार करने के लिए नियामक ढांचा प्रदान करती है।
- **आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955:** गन्ने, चीनी और खाद्यान्नों सहित आवश्यक कृषि वस्तुओं की आपूर्ति, वितरण और मूल्य संचालन को विनियमित करता है।
- **संवैधानिक प्रावधान (अनुच्छेद 48A एवं अनुच्छेद 21):** मौलिक अधिकारों के तहत पारिस्थितिक संतुलन और स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तनों को सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ संसाधन उपयोग को अनिवार्य करता है।

निष्कर्ष

जबकि EBP कार्यक्रम ने किसानों की तरलता (liquidity) को सफलतापूर्वक बढ़ाया और कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता को कम किया, अनाज पर निर्भरता की ओर इसका संरचनात्मक बदलाव खाद्य सुरक्षा और पर्यावरणीय स्थिरता को खतरे में डालता है। दीर्घकालिक व्यवहार्यता के लिए जलवायु-अनुकूल मोटे अनाज, 2G सेल्यूलोसिक इथेनॉल और यथार्थवादी सम्मिश्रण लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने वाला एक संतुलित पुनरंशांकन महत्वपूर्ण है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर II:** विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप तथा उनके डिजाइन और कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दे।
- **जीएस पेपर III:** मुख्य फसलें और फसल पैटर्न; प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कृषि सब्सिडी और न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित मुद्दे; सार्वजनिक वितरण प्रणाली; संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण।

9. सोशल मीडिया की लत लगाने वाली डिज़ाइन और बाल सुरक्षा: मेटा निपटान और नियामक निहितार्थ

मुख्य विशेषताएं एवं सारांश

- **ऐतिहासिक अमेरिकी निपटान:** मेटा (Meta) लत लगाने वाले प्लेटफॉर्म डिज़ाइन, युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य नुकसान पर जनता को गुमराह करने, और 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से अनुचित डेटा एकत्र करने से संबंधित 47 अमेरिकी राज्यों और क्षेत्रों के दावों को निपटाने के लिए एक दशक में \$17 बिलियन तक का भुगतान करने पर सहमत हुआ।
- **अनिवार्य उत्पाद डिज़ाइन सुधार:** यह समझौता 18 वर्ष से कम उम्र के उपयोगकर्ताओं के लिए संरचनात्मक उत्पाद परिवर्तनों को अनिवार्य बनाता है, जिसमें फेसबुक/इंस्टाग्राम के लिए डिफ़ॉल्ट रूप से दैनिक 2-घंटे की संयुक्त सीमा, मध्यरात्रि से सुबह 6 बजे तक ऐप एक्सेस ब्लॉक, स्कूल के समय (सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक) म्यूट नोटिफिकेशन, गैर-एल्गोरिदमिक फीड विकल्प, और 'लाइक' की छिपी हुई संख्याएं शामिल हैं।
- **स्वैच्छिक सुरक्षा से आर्किटेक्चर नियंत्रण की ओर बदलाव:** सॉफ्ट सुरक्षा सुविधाओं के विपरीत, यह निपटान कानूनी रूप से प्लेटफॉर्म-स्तरीय परिवर्तनों को सीधे उत्पाद वास्तुकला (architecture) में लागू करता है, जो स्व-विनियमन से आगे बढ़ने के लिए एक वैश्विक नज़ीर स्थापित करता है।

- **भारतीय नियामक विचार-विमर्श:** भारतीय नीति निर्माता प्लेटफॉर्म दायित्व, आयु-आधारित पहुंच प्रतिबंध, स्क्रीन-टाइम कैप, और अनिवार्य अभिभावकीय सहमति ढांचे का मूल्यांकन करने के लिए एक संभावित खाके (blueprint) के रूप में अमेरिकी सहमति डिक्री का अध्ययन कर रहे हैं।
- **मानसिक स्वास्थ्य और एल्गोरिदमिक प्रभाव:** मेटा-विश्लेषण अत्यधिक सोशल मीडिया उपयोग और किशोरावस्था के अवसाद, चिंता, कम आत्मसम्मान और नींद में व्यवधान के बीच मजबूत संबंधों को उजागर करते हैं, जो मात्रात्मक सामाजिक प्रतिक्रिया छोरों (लाइक, शेयर मेट्रिक्स) और अंतहीन स्क्रॉलिंग द्वारा संचालित होते हैं।
- **स्वतंत्र निगरानी और अनुपालन:** बिग-टेक प्लेटफॉर्मों के लिए जवाबदेही उपायों को निर्धारित करते हुए, अनिवार्य सुरक्षा तंत्रों के अनुपालन का मूल्यांकन करने के लिए मेटा को पांच वर्षों के लिए एक स्वतंत्र लेखा परीक्षक (auditor) नियुक्त करना होगा।



आवश्यक परिभाषाएं

- **लत लगाने वाली डिज़ाइन (डार्क पैटर्न):** यूजर इंटरफेस डिज़ाइन विकल्प—जैसे कि अंतहीन स्क्रॉल (infinite scroll), पुश नोटिफिकेशन, ऑटोप्ले और मात्रात्मक सामाजिक मेट्रिक्स—जो मनोवैज्ञानिक पुरस्कार तंत्र का लाभ उठाकर उपयोगकर्ता जुड़ाव को अधिकतम करने के लिए तैयार किए गए हैं।
- **सहमति निर्णय (Consent Judgment):** विवादित पक्षों के बीच अदालत द्वारा अनुमोदित एक बाध्यकारी कानूनी समझौता जो दायित्व की औपचारिक स्वीकृति की आवश्यकता के बिना सहमत कार्रवाइयों या प्रतिबंधों की रूपरेखा तैयार करता है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम, 2023:** धारा 9 डेटा फिडुशियरी (डेटा प्रन्यासियों) के लिए बच्चों के व्यक्तिगत डेटा को संसाधित करने से पहले सत्यापन योग्य माता-पिता की सहमति प्राप्त करना अनिवार्य बनाती है और नाबालिगों को लक्षित ट्रेकिंग, व्यवहार संबंधी निगरानी या लक्षित विज्ञापनों को प्रतिबंधित करती है।
- **सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021:** उपयोगकर्ता सुरक्षा सुनिश्चित करने और ऑनलाइन नुकसान को रोकने के लिए सोशल मीडिया मध्यस्थों के लिए उचित परिश्रम आवश्यकताओं की रूपरेखा तैयार करता है।
- **संवैधानिक प्रावधान (अनुच्छेद 21 एवं अनुच्छेद 39(f)):** शोषण और नैतिक/भौतिक परित्याग के खिलाफ बच्चों की सुरक्षा के लिए अनुच्छेद 39(f) के तहत राज्य के नीति निदेशक तत्वों के साथ संरेखित, अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मानसिक कल्याण की गारंटी देता है।

निष्कर्ष

मेटा निपटान स्वैच्छिक उपयोगकर्ता सेटिंग्स पर भरोसा करने के बजाय मुख्य एल्गोरिदमिक वास्तुकला को लक्षित करके बिग-टेक जवाबदेही में एक प्रतिमान बदलाव (paradigm shift) का प्रतीक है। भारत जैसे विकासशील नियामक ढांचों के लिए, कानूनी रूप से अनिवार्य 'सुरक्षा-बाय-डिज़ाइन' सिद्धांत डिजिटल समावेशन को बनाए रखते हुए युवा मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए एक संरचित दृष्टिकोण प्रदान करते हैं।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर II:** विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप; स्वास्थ्य, शिक्षा और मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।
- **जीएस पेपर III:** संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियां; सुरक्षा चुनौतियों में मीडिया और सोशल नेटवर्किंग साइटों की भूमिका; साइबर सुरक्षा की बुनियादी बातें; आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल प्लेटफॉर्म का विनियमन।

10. प्रधानमंत्री की उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की यात्रा: मध्य एशिया का रणनीतिक महत्व

मुख्य विशेषताएं एवं सारांश

- **उच्च स्तरीय कूटनीतिक यात्रा:** प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्विपक्षीय आदान-प्रदान के लिए उज्बेकिस्तान और 26वें शंघाई सहयोग संगठन (SCO) राष्ट्राध्यक्ष परिषद के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए किर्गिज गणराज्य (बिश्केक) की यात्रा पर हैं।
- **कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीति:** यह यात्रा भारत की "कनेक्ट सेंट्रल एशिया" नीति के तहत उसकी निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जो पांच मध्य एशियाई गणराज्यों (कजाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान) को अपने विस्तारित पड़ोस के हिस्से के रूप में मानती है।
- **ऊर्जा और संसाधन क्षमता:** मध्य एशिया के पास भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन हैं, जिनमें कजाकिस्तान में विशाल यूरैनियम भंडार, तुर्कमेनिस्तान में प्राकृतिक गैस, और उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिज गणराज्य में समृद्ध खनिज संपदा (सोना, कोयला, लौह अयस्क, जल-विद्युत) शामिल हैं।
- **भू-राजनीतिक संतुलन और प्रभुत्व का मुकाबला:** सक्रिय जुड़ाव भारत को चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) और सोवियत के बाद के रूसी संबंधों से अत्यधिक प्रभावित क्षेत्र में रणनीतिक स्थान सुरक्षित करने की अनुमति देता है, जबकि तालिबान के नेतृत्व वाले अफगानिस्तान और क्षेत्रीय कट्टरपंथ से सुरक्षा खतरों को कम करता है।
- **कनेक्टिविटी बाधाएं:** पाकिस्तान द्वारा पारगमन (transit) पहुंच से इनकार करने के कारण सीधा ओवरलैंड मार्ग बाधित बना हुआ है, जिससे भारत ईरान में चाबहार बंदरगाह और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे (INSTC) जैसे वैकल्पिक गलियारों को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित हुआ है।
- **गहरी सभ्यतागत छाप:** भारत कुषाण काल (उज्बेकिस्तान के तर्मेज़ में कारा तेपा बौद्ध स्थल द्वारा प्रमाणित) से जुड़े ऐतिहासिक संबंधों, साझा भाषाई शब्दावली और मजबूत व्यापारिक संबंधों को साझा करता है, जिसमें 2025-26 में भारत-उज्बेकिस्तान व्यापार \$1 बिलियन के करीब पहुंच जाएगा।

आवश्यक परिभाषाएं

- **विस्तारित पड़ोस नीति (Extended Neighbourhood Policy):** एक विदेश नीति सिद्धांत जिसके तहत भारत अपने तत्काल भौगोलिक सीमाओं से परे के क्षेत्रों, जैसे मध्य एशिया, पश्चिम एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापक रणनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंध बनाता है।
- **अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (INSTC):** भारत, ईरान, अजरबैजान, रूस, मध्य एशिया और यूरोप के बीच माल परिवहन के लिए डिज़ाइन किया गया एक 7,200 किमी लंबा बहु-मॉडल परिवहन नेटवर्क (जहाज, रेल, सड़क)।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **अनुच्छेद 51 (राज्य के नीति निदेशक तत्व):** राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने, राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और सम्मानजनक संबंध बनाए रखने और अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों के प्रति सम्मान बढ़ाने का जनादेश देता है।
- **शंघाई सहयोग संगठन (SCO) चार्टर:** SCO का मूलभूत कानूनी ढांचा (जिसमें भारत 2017 में एक पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुआ) जिसका उद्देश्य आपसी विश्वास, सुरक्षा सहयोग, क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी और व्यापार एकीकरण को मजबूत करना है।

निष्कर्ष

मध्य एशिया की ओर भारत की सक्रिय पहुंच यूरोशिया के चौराहे पर इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण स्थिति को रेखांकित करती है। चाबहार और INSTC के माध्यम से बुनियादी ढांचे के एकीकरण को SCO जैसे बहुपक्षीय कूटनीतिक मंचों के साथ जोड़कर, भारत राष्ट्रीय सुरक्षा, व्यापार लचीलेपन और ऊर्जा विविधीकरण को बढ़ावा देते हुए महान-शक्ति गतिशीलता को प्रभावी ढंग से संतुलित करता है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर II:** भारत और उसका पड़ोस- संबंध; भारत से जुड़े और/या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और समझौते; भारत के हितों पर विकसित और विकासशील देशों की नीतियों और राजनीति का प्रभाव।
- **जीएस पेपर III:** ऊर्जा सुरक्षा; अवसंरचना: बंदरगाह, सड़कें और फ्रेट कॉरिडोर; सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां और उनका प्रबंधन।

11. सीमा पार पारिस्थितिक आपदाएं और हिमालयी जलवायु संवेदनशीलता

मुख्य विशेषताएं एवं सारांश

- **हिमालयी ग्लेशियल पतन की घटना:** 26 अगस्त, 2026 को नेपाल-चीन सीमा पर उच्च ऊंचाई वाले ग्लेशियल के ढहने से भीषण फ्लैश फ्लड (अचानक आई बाढ़) और भूस्खलन हुआ, जिसमें 5.2 तीव्रता के भूकंप के बराबर भूकंपीय बल दर्ज किया गया।
- **गंभीर बुनियादी ढांचे को नुकसान:** इस आपदा ने चीन के गिरोंग पोर्ट भूमि व्यापार केंद्र, नेपाल के परिवहन नेटवर्क और नेपाल के पावर ग्रिड पर 475 मेगावाट की उत्पादन क्षमता सहित महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को नष्ट कर दिया।

- **सीमा पार मानवीय प्रभाव:** इस आपदा के कारण नेपाल और चीन में भारी जनहानि हुई, जिससे सैकड़ों लोग लापता हो गए—जिनमें माउंट कैलाश जाने वाले 170 से अधिक भारतीय तीर्थयात्री भी शामिल हैं।
- **निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा:** बाढ़ का पानी भोटेकोशी-त्रिशूली-नारायणी प्रणाली से भारत में गंडक, कोसी और गंगा नदियों में उमड़ पड़ा, जिससे बिहार और उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट और NDRF की तैनाती की गई।
- **भारतीय आपातकालीन राहत कार्य:** भारत ने भारतीय वायु सेना के माध्यम से नेपाल को 47.5 टन से अधिक आपातकालीन सामग्री भेजकर व्यापक मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR) परिचालन सक्रिय किया।
- **त्रिपक्षीय सहयोग की आवश्यकता:** यह संकट इस बात को उजागर करता है कि पारिस्थितिक खतरे भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता से परे हैं, जिसके लिए भारत, नेपाल और चीन के बीच संस्थागत सीमा पार बाढ़ पूर्वानुमान और डेटा साझाकरण की आवश्यकता है।

आवश्यक परिभाषाएं

- **ग्लेशियर झील का फटना (GLOF) / ग्लेशियल पतन:** किसी ग्लेशियर या प्राकृतिक बर्फ के बांध की संरचनात्मक विफलता के परिणामस्वरूप पानी, बर्फ और मोरेन गाद (moraine sediment) की भारी मात्रा का अचानक बह निकलना।
- **मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR):** प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं के दौरान कष्टों को कम करने के लिए तैनात किए गए सैन्य या नागरिक अभियान, जो क्षेत्रीय कूटनीति के एक मुख्य घटक के रूप में कार्य करते हैं।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005:** घरेलू आपात स्थितियों और सीमा पार HADR अभियानों के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) को अधिकार देते हुए, भारत के राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया तंत्र को संस्थागत बनाता है।
- **आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क (2015-2030):** सीमा पार सहयोग, प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों और लचीले बुनियादी ढांचे पर जोर देने वाला अंतर्राष्ट्रीय समझौता।
- **संवैधानिक प्रावधान (अनुच्छेद 21 एवं अनुच्छेद 51(c)):** अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुपालन और संधि-आधारित आपदा प्रबंधन सहयोग को बढ़ावा देने वाले अनुच्छेद 51(c) के साथ संरेखित, अनुच्छेद 21 के तहत जीवन सुरक्षा और पर्यावरणीय सुरक्षा की गारंटी देता है।

निष्कर्ष

2026 की हिमालयी सीमा आपदा हिंदू कुश-हिमालय क्षेत्र की गंभीर जलवायु संवेदनशीलता को रेखांकित करती है। निचले इलाकों में पारिस्थितिक सुरक्षा और मानव जीवन की रक्षा के लिए भारत, नेपाल और चीन के बीच औपचारिक त्रिपक्षीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण ढांचे की स्थापना, रीयल-टाइम हाइड्रोलॉजिकल डेटा साझाकरण और संयुक्त प्रारंभिक चेतावनी बुनियादी ढांचा अनिवार्य है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर II:** भारत और उसका पड़ोस- संबंध; द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह; भारत के हितों पर विकासशील देशों की नीतियों का प्रभाव।

- **जीएस पेपर III:** आपदा और आपदा प्रबंधन; पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण; संरक्षण और पर्यावरण प्रभाव आकलन।

12. भारत-कनाडा आर्थिक और वित्तीय संवाद: व्यापार और निवेश रोडमैप

मुख्य विशेषताएं एवं सारांश

- **CEPA के लिए लक्षित समयसीमा:** वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कनाडाई वित्त मंत्री फ्रांस्वा-फिलिप शैम्पेन ने 2026 के अंत तक व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (CEPA) वार्ता को समाप्त करने के लिए फिर से प्रतिबद्धता जताई।
- **द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT):** भारत ने आपसी संस्थागत पूंजी प्रवाह की रक्षा के लिए जल्द से जल्द एक द्विपक्षीय निवेश संधि पर औपचारिक बातचीत शुरू करने की तैयारी व्यक्त की।
- **व्यापार लक्ष्य:** यह संवाद 2025-26 में दर्ज 70,354 करोड़ से बढ़ाकर 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 4.65 लाख करोड़ (लगभग \$50 बिलियन) तक पहुंचाने की प्रतिबद्धताओं के अनुरूप है।
- **उद्घाटन वित्त संवाद:** टोरंटो में आयोजित इस बैठक ने वाणिज्यिक संपर्कों और वित्तीय संस्थानों के जुड़ाव को बढ़ाने के लिए उद्घाटन भारत-कनाडा आर्थिक और वित्तीय संवाद के समापन को चिह्नित किया।
- **कनाडाई पेंशन फंड का आकर्षण:** भारत ने बुनियादी ढांचे की परिसंपत्तियों के लिए स्थापित भारत के राष्ट्रीय मुद्राकरण पाइपलाइन से अवसरों को जोड़ते हुए कनाडाई पेंशन फंड से संवर्धित पूंजी प्रवाह के लिए विशेष रूप से जोर दिया।
- **रणनीतिक आर्थिक पुनर्संरचना:** दोनों मंत्रियों ने रेखांकित किया कि वर्तमान वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं और दीर्घकालिक निवेश को सुरक्षित करने के लिए द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी को तेजी से महत्वपूर्ण बनाती है।

आवश्यक परिभाषाएं

- **व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (CEPA):** वस्तुओं, सेवाओं, निवेश, बौद्धिक संपदा अधिकारों और नियामक सहयोग में व्यापार को शामिल करने वाला एक मुक्त व्यापार समझौता।
- **द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT):** दो देशों के बीच एक समझौता जो एक राज्य के नागरिकों और कंपनियों द्वारा दूसरे राज्य में निजी निवेश के लिए नियम और शर्तें स्थापित करता है, जिससे निवेशक अधिकारों की रक्षा होती है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **अनुच्छेद 73 एवं कार्यपालिका शक्ति:** द्विपक्षीय आर्थिक संधियों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों पर बातचीत, हस्ताक्षर और अनुसमर्थन (ratify) करने के लिए केंद्रीय कार्यपालिका को अधिकार देता है।
- **विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992:** विदेशी व्यापार विकास को नियंत्रित करता है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों को लागू करने के लिए कार्यकारी अधिकार प्रदान करता है।

- **संघ सूची (प्रविष्टि 41 एवं प्रविष्टि 14):** प्रविष्टि 41 विदेशी देशों के साथ व्यापार और वाणिज्य को कवर करती है, जबकि प्रविष्टि 14 संधियों और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर अधिकार प्रदान करती है।

निष्कर्ष

2026 के अंत तक CEPA को अंतिम रूप देने की प्रतिबद्धता भारत और कनाडा के बीच व्यावहारिक आर्थिक पुनरुद्धार को दर्शाती है। कनाडाई पेंशन फंड से संस्थागत पूंजी का लाभ उठाकर भारत के अवसंरचना परिसंपत्ति पाइपलाइन में निवेश करके, दोनों राष्ट्रों का लक्ष्य भविष्य की द्विपक्षीय निवेश संधि के तहत संरचित निवेशक सुरक्षा प्रदान करते हुए वाणिज्यिक संबंधों का विस्तार करना है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर II:** भारत से जुड़े और/या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और समझौते; भारत के हितों पर विकसित देशों की नीतियों और राजनीति का प्रभाव।
- **जीएस पेपर III:** भारतीय अर्थव्यवस्था तथा नियोजन, संसाधनों की लामबंदी, संवृद्धि, विकास और रोजगार से संबंधित मुद्दे; निवेश मॉडल और विदेशी पूंजी प्रवाह।

